

1986
संख्या १८५ पी/छ:-पु-६-१३-३००(४६)/०४

6/22
२७/१०

प्रेषक,

जय शंकर तिवारी,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

१६/८
०१-११-१३

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद।

गृह (पुलिस) अनुभाग-६

लखनऊ: दिनांक ०४ अक्टूबर, 2013

विषय:—जनपद बादां के थाना कालिंजर के अन्तर्गत ग्राम सढ़ा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना हेतु स्वीकृत अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या ३क-९९-आर-२००४, दिनांक २८-८-२०१३ के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय जनपद बादां के थाना कालिंजर के अन्तर्गत ग्राम सढ़ा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना हेतु स्वीकृत उप निरीक्षक-०१, मुख्य आरक्षी-०२, आरक्षी-१४, सहायक परिचालक-०१ कुल १८ (संलग्नक में उल्लिखित) अस्थायी पदों आरक्षी-०२, आरक्षी-१४, सहायक परिचालक-०१ कुल १८ (संलग्नक में उल्लिखित) अस्थायी पदों को दिनांक ०४ अक्टूबर, २०१३ से स्थायी पदों में परिवर्तित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

२— उक्त पदों के पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के

अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो उन्हें अनुमन्य हो, भी देय होंगे।

३— मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त स्थायी पदों के दिनांक ०४ अक्टूबर, २०१३ से स्थायी पदों में परिवर्तित हो जाने के फलस्वरूप संलग्नक के कालम-६ में उल्लिखित शासनादेश

संख्या ३३७ पी/छ:-पु-६-२०१३-३००(४६)/०४, दिनांक २८ फरवरी २०१३ को, जिसमें इन पदों को वर्ष २०१३ में दिनांक २८-२-२०१४ तक अस्थायी रूप से चलते रहने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, इस सीमा तक संशोधित माना जायेगा कि उक्त पद की निरन्तरता केवल दिनांक ०४ अक्टूबर, २०१३ के लिए ही दी गयी थी।

४— उपर्युक्त पद पर होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-२६ गृह (पुलिस) विभाग के अधीन लेखांशीर्षक “२०५५-पुलिस आयोजनेत्तर-१०९-जिला पुलिस-०३-जिला पुलिस (मुख्य)” के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

५— प्रमाणित किया जाता है कि इन पदों का स्थायीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-२-७९७/दस-८७-२४(१२)-८६, दिनांक २५ मई, १९८७ में निहित सभी शर्तों की पूर्ति के बाद किया जा रहा है।

संलग्नक :—यथोपरि।

S.P.(44)

३/१

Send copy

अपर पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० पुलिस मुख्यालय,
इलाहाबाद २९/१०/१३

अनुभाग अधिकारी III A
३१/१०

पुलिस अधिकारी मुख्यालय
दिनांक ३१.१०.१३

भवदीय,
(Signature)
(जय शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

संलग्नक

शासनादेश संख्या 1785 पी/छ:-पु-6-13-300(46)/04, दिनांक 04 अक्टूबर, 2013 से स्थायी किये गये पदों का विवरण :-

क्र० सं	पदनाम	स्थाई किये जाने वाले पदों संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या दिनांक जिसमें रूप में सूजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अम्मुक्ति यदि कोई हो
फ० सं	पदनाम	किये जाने वाले की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	दिनांक जिसमें पद मूल रूप में सूजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अम्मुक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	उप निरीक्षक	01	5500—175—9,000 /— (पुराना वेतनमान)	सं0 2390 पी/छ:-पु-6— 2007—300(46)/04, दिनांक 28—5—2008	सं0 337 पी/छ:-पु-6— 300(46)/04, दिनांक 27 फरवरी, 2013	
2	मुख्य आरक्षी	02	3200—85—4,900 /— (पुराना वेतनमान)	तदैव	तदैव	
3	आरक्षी	14	3050—75—39,50— 80—4590 /— (पुराना वेतनमान)	तदैव	तदैव	
4	सहायक परिचालक	01	3200—85—4,900 /— (पुराना वेतनमान)	तदैव	तदैव	
			कुल=18			


(जय शंकर तिवारी)

अनु सचिव

गृह विभाग, उम्प्र० शासन।